FORM 21C

(See rule 64)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN from 147-PINDWARA-ABU (ST)
Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri SAMARAM GRASIYA

Village- Kalumbari, Post-Varali, Tehsil-Pindwada sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: SIROHI

Date: 11-12-2018

(Dr. RAVINDRA GOSWAMI) I.A.S.
RETURNING OFFICER
(SDM MOUNT ABU)
147-PINDWARA-ABU(ST)

200

प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखें)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

147-पिण्डवाडा-आबू (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा का निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि – श्री समाराम गरासीया,

गॉव-कालुम्बरी, पोस्ट- वरली, तहसील- पिण्डवाडा

भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रयोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान : सिरोही

तारीख: 11.12.2018

डॉ. रविन्द्र गोस्वामी (आई.ए.एस.) रिटर्निंग अधिकारी, (एस.डी.एम.) आबूपर्वत 147—पिण्डवाडा (अ.ज.जा.)